संख्या- 174/2020/4361/71-1-2020-जी-131/2014

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह,
अनु सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 29 दिसम्बर, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 में मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय आगरा में स्थित 08 नग माड्यूलर ओ0टी0 के उच्चीकरण हेतु धनराशि स्वीकृत किए जाने के संबंध में।

महोदय,

मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय आगरा में स्थित 08 नग माड्यूलर ओ0टी0 के उच्चीकरण हेतु व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित लागत रू0 3108.60 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति शासनादेश दिनॉक 04-09-2014 द्वारा प्रदान की गयी थी। उक्त स्वीकृत लागत रू0 3108.60 लाख के सापेक्ष निम्न शासनादेशों द्वारा कुल रू0 2519.15 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है, जिनका विवरण निम्नवत् है-

क्र0	शासनादेश संख्या व दिनॉक	धनराशि (रू0 लाख में)
1	शासनादेश संख्या-1288/71-1-14-जी-131/2014, दिनॉक 04-09-2014	50.00
2	शासनादेश संख्या-74/2015/672/71-1-15-जी-131/2014, दिनॉक 27-03-2015	400.00
3	शासनादेश संख्या-219/2015/2690/71-1-15-जी-131/2014, दिनॉक 22-12-2015	529.71
4	शासनादेश संख्या-63/2016/918/71-1-16-जी-131/2014, दिनॉक 28-03-2016	112.35
5	शासनादेश संख्या-120/2016/1299/71-1-16-जी-131/2014, दिनॉक 16-05-2016	450.00
6	शासनादेश संख्या-152/2016/1946/71-1-16-जी-131/2014, दिनॉक 29-07-2016	95.44
7	शासनादेश संख्या-21/2017/3190/71-1-16-जी-131/2014, दिनॉक 10-02-2017	30.11
8	शासनादेश संख्या-89/2017/910/71-1-17-जी-131/2014, दिनॉक 12-07-2017	150.00
9	शासनादेश संख्या-154/2018/2115/71-1-18-जी-131/2014, दिनॉक 12-06-2018	250.00
10	शासनादेश संख्या-273/2018/4301/71-1-18-जी-131/2014, दिनॉक 15-10-2018	318.15
11	शासनादेश संख्या-11/2020/327/71-1-20-जी-131/2014, दिनॉक 14-02-2020	133.39
	योग-	**2519.15**

2- आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2020-21/590, दिनॉक 10-12-2020 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मेडिकल कालेज एवं चिकित्सालय आगरा में स्थित 08 नग माड्यूलर ओ0टी0 के उच्चीकरण हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मेडिकल कालेज, आगरा हेतु 24-वृहद निर्माण कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 1247.02 लाख में से रू0 434.02 लाख (रू0 चार करोड़ चौतीस लाख दो हजार मात्र) की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

1- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 एवं शासनादेश दिनॉक 07.04.2020, 29.09.2020 एवं 11.04.2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3- प्रायोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयावधि में अवश्य पूर्ण कर लिया जाय।
4- कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी महानिदेशक/प्रधानाचार्य/कार्यदायी संस्था की होगी।
5- अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को पी0एल0ए0/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।
6- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
7- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की दिरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से महानिदेशक/प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनॉक 19-10-2015 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

9- कार्यदायी संस्था को दो माह की आवश्यकता के अनुसार धनराशि अवमुक्त की जायेगी। विभागाध्यक्ष कार्यालय में तैनात वित्त नियंत्रक का यह उत्तरदायित्व होगा कि धनराशि का कोषागार से आहरण दो-दो माह की आवश्यकता के अनुसार ही किया जाये।

7- शासनादेश संख्या-1288/71-1-14-जी-131/2014, दिनॉक 04-09-2014 में उल्लिखित अन्य शर्ते यथावत् रहेंगी।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-38-राजकीय मेडिकल कालेज, आगरा-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-10/2020/बी-1-564/दस-2020-231/2020, दिनॉक 29 सितम्बर, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

संख्या:-174/2020/4361(1)/71-1-2020 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, आगरा।
4- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, आगरा।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
6- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, गोमती नगर, लखनऊ।
7- नियोजन-अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2,
9- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।